न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

रूक्मणि रियार सिहाग
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
380/अपील/18	23.10.2018	14.10.2019

कौशल शर्मा आ0 शिवनारायण शर्मा जाति ब्राहमण,
निवासी ग्राम जखाना, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.16 (मिसल संख्या 774/2016) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा ग्राम रायथल की आराजी खसरा संख्या 828 रकबा 2 बीघा में से केवल 10 बिस्वा भूमि पर ही अतिक्रमी के रूप में काबिज है, शेष 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। ग्राम रायथल में केवलमात्र एक सरकारी

जिला कलेक्टर; बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अतिरिक्त जिला कलक्टर

विद्यालय संचालित है जो सीनियर सैकण्डरी स्तर का है। ग्राम रायथल व आस पास के गांवों के अशिक्षित व निर्धन बच्चों का शैक्षणिक भविष्य उन्नत बनाने के लिए अपीलांट ने उक्त 10 बिस्वा सिवायचक भूमि पर अपना निजी विधालय स्थापित करने का निर्णय किया था। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त उक्त स्कूल वर्तमान में मिडिल स्तर का संचालित है और करीब 200 विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश के वहां अध्ययन कर रहे है, जिनसे न्यूनतम शुल्क लिया जाकर अच्छी कोटी की शिक्षा दी जा रही है। उक्त भूमि को लेवलिंग करवाया जाकर विद्यालय के लिए पक्के कमरों का निर्माण करने में काफी रकम खर्च की है। अपीलांट समय समय पर सरकार को देय पेनाल्टी राशि निरन्तर जमा करवाता आ रहा है तथा उक्त भूमि को विद्यालय के लिए आवंटित करवाने के लिए प्रयासरत है। अपीलांट उक्त भूमि के नियमन/ आवंटन हेतु नियमानुसार सरकारी राशि जमा करवाने को तैयार है। आरोपित शास्ति अपीलांट द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांट पर कोई राशि बकाया नहीं है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.16 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी भूमि है। अपीलान्ट बार बार अतिचार करने के आदी है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। अपीलांट के पश्चातवृर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष में मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट ने भूमि खसरा संख्या 828 रकबा 2 बीघा किस्म गे0मु0दर्डा वाके ग्राम रायथल पर संवत् 2072 मौसम रबी में 10 बिस्वा भूमि स्कूल भवन बनाकर तथा शेष 1 बीघा 10 बिस्वा पर कांटों की बाड लगाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, अतिक्रमित भवन को ध्वस्त कर निर्माण सामग्री की नीलामी,

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अति०प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्टेट. बून्दी

250/–रू. शास्ति तथा तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2072 मौसम खरीफ में भी उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु कब्जा कर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमी को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने का आदी है।

अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विद्यालय संचालन हेतु उक्त भूमि का नियमन नहीं किया जाकर उसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया गया, जो निरस्त किया जावे। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अपीलांट की ओर से उक्त भूमि पर उनके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। जहां तक सिवायचक भूमि के आवंटन/नियमन का प्रश्न है तो इस हेतु अपीलांट द्वारा सक्षम स्तर पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए थी। बिना सक्षम स्वीकृति के सरकारी भूमि पर व्यावसायिक उपयोग हेतु निजी भवन निर्माण कर एवं कांटो की बाड लगाकर अतिक्रमण करना न्यायसंगत नहीं है। वर्तमान में ग्राम रायथल में दो राजकीय विद्यालय संचालित है। अपीलान्ट द्वारा यह भी आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसका पश्चातवृर्त्ती अतिक्रमण मानने की त्रुटि की है। अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय तहसीलदार बूंदी की पत्रावली संख्या 1246/15 निर्णय दिनांक 07.10.15 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर ही समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 14.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अति०प्रशासनिक अधिकारी